स्कूल बसों पर सख्त कार्रवाई
12 बसों की जांच, 11 के कटे चालान

बिना परमिट-फिटनेस वाली बस जब्त

नवभारत न्यूज
शिवपुरी, 10 जुलाई। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे प्रदेशव्यापी विशेष स्कूल बस चेकिंग अभियान के तहत शुक्रवार को शिवपुरी में यातायात पुलिस और आरटीओ की संयुक्त टीम ने सेंट चार्ल्स स्कूल की बसों पर बड़ी कार्रवाई की। जांच के दौरान 12 बसों का निरीक्षण किया गया, जिनमें से 11 बसों पर नियमों के उल्लंघन के चलते चालानी कार्रवाई की गई, जबकि एक बस को बिना परमिट और फिटनेस प्रमाणपत्र के संचालित पाए जाने पर जब्त कर आरटीओ कार्यालय भेज दिया गया।

पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर संचालित 10 दिवसीय अभियान के तहत यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मुले के मार्गदर्शन में की गई। अभियान का उद्देश्य स्कूली वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच कर विद्यार्थियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना है। यातायात थाना प्रभारी रणवीर यादव ने यातायात पुलिस बल और आरटीओ शिवपुरी की टीम के साथ सेंट चार्ल्स स्कूल पहुंचकर बसों का निरीक्षण किया।

जांच के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अनुरूप दस्तावेज, फिटनेस, परमिट तथा अन्य सुरक्षा मानकों की जांच की गई। निरीक्षण में 11 बसों में विभिन्न कमियां मिलने पर 49 हजार रुपये के चालान किए गए। वहीं एक बस के पास वैध परमिट और फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं मिलने पर उसे तत्काल जब्त कर आगे की वैधानिक कार्रवाई के लिए आरटीओ कार्यालय भेज दिया गया।

यातायात प्रभारी ने स्पष्ट किया कि स्कूल वाहनों में सुरक्षा मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभियान आगामी दिनों में भी जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूल वाहनों के विरुद्ध इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पॉली हाउस गुलाब उत्पादन की विशेष कार्यशाला कल

गुना। कलेक्टर किशोर कन्याल के मार्गदर्शन एवं उपस्थिति में रविवार, 12 जुलाई 2026 को प्रात: 10 बजे हनुमान टेकरी के पास मेला परिसर स्थित प्रगतिशील किसान शुभम चौहान के पॉलीहाउस पर गुलाब की आधुनिक खेती पर एक विशेष व्यावहारिक कार्यशाला आयोजित की जाएगी।

कलेक्टर ने बताया कि गुना जिले को पॉलीहाउस गुलाब उत्पादन का अग्रणी केंद्र बनाने के लिए वर्ष 2026-27 में 100 एकड़ नवीन क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है, जबकि वर्तमान में 50 एकड़ में पॉलीहाउस स्थापित हैं। इसी उद्देश्य से किसानों को नवीनतम तकनीक का लाइव प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यशाला में भोपाल के गुलाब उत्पादन कंसल्टेंट राहुल सिंह 'देखकर करें, करके सीखें' की अवधारणा पर किसानों को पॉलीहाउस के भीतर ही व्यावहारिक और तकनीकी प्रशिक्षण देंगे।

अवैध लकड़ी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पकड़ी, चालक पर मामला दर्ज

वन विभाग की बड़ी कार्रवाई

नवभारत न्यूज
पोहरी, 10 जुलाई। वन परिक्षेत्र पोहरी के अंतर्गत भैंसारवन सबरेंज की बीट गढ़ा में वन विभाग ने अवैध वनोपज परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर चालक के खिलाफ वन अपराध प्रकरण दर्ज किया है।

वन विभाग के अनुसार 9 जुलाई को मुखबिर से मिली सूचना पर बीट गढ़ा के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 828 में दबिश दी गई। मौके पर स्वराज 744 ट्रैक्टर मय ट्रॉली लकड़ी का अवैध परिवहन करते हुए मिला। वन अमले ने वाहन को जब्त कर चालक हरिओम कुशवाह पुत्र बल्ला कुशवाह के विरुद्ध वन अपराध प्रकरण दर्ज किया है। मामले में वन विभाग द्वारा नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है।

कार्रवाई वनमण्डल अधिकारी सामान्य शिवपुरी एवं उप वनमण्डल अधिकारी शिवपुरी के मार्गदर्शन तथा वन परिक्षेत्राधिकारी पोहरी के निर्देशन में की गई। कार्रवाई के दौरान वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने निकाला पैदल जुलूस

नवभारत न्यूज
शिवपुरी, 10 जुलाई। सोशल मीडिया पर हिंदू देवी-देवताओं और हिंदू समाज की बेटियों को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घोसीपुरा निवासी अमर खान को गिरफ्तार कर लिया। फिजिकल थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया। इस दौरान कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपी का पैदल जुलूस भी निकाला गया।

इस मामले को लेकर विभिन्न हिंदू संगठनों और श्री राजपूत करणी सेना ने शुक्रवार को शहर कोतवाली व पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एफआईआर की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा था। शिकायतकर्ता एवं सनातन धर्म प्रचारक अभिराम दास महाराज ने आरोप लगाया था कि उनकी सोशल मीडिया पोस्ट पर भगवान श्रीराम और हिंदू समाज को लेकर कथित अभद्र टिप्पणी की गई, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। विरोध बढ़ने और सामाजिक तनाव की आशंका के बीच पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि मामले की वैधानिक जांच जारी है।

7 साल से फरार स्थाई वारंटी गिरफ्तार

नवभारत न्यूज
गुना, 10 जुलाई। म्याना थाना पुलिस ने मारपीट के 7 साल पुराने एक मामले में लंबे समय से फरार चल रहे स्थाई वारंटी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

वर्ष 2019 में ग्राम देवपुर निवासी आरोपी झनक सिंह अहिरवार के खिलाफ म्याना थाने में मारपीट और गाली-गलौज का मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस टीम ने मुखबिर की सटीक सूचना पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए फरार स्थाई वारंटी झनक सिंह (40 वर्ष, पिता मिश्रीलाल अहिरवार) को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया।

22 पेटी शराब से भरी कार सहित 3 .86 लाख का माल जब्त

नवभारत न्यूज
शिवपुरी, 10 जुलाई। शराब माफिया पर शिकंजा कसने के अभियान में कोलारस पुलिस ने एक और बड़ी सफलता दर्ज की है। पुलिस की घेराबंदी देख तस्कर अपनी बिना नंबर की स्विफ्ट डिजायर और उसमें भरी 22 पेटी अवैध शराब मौके पर ही छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया। पुलिस ने करीब 3.86 लाख रुपये का मसरूका जब्त कर अज्ञात तस्कर के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश तेज कर दी है।

पुलिस अधीक्षक श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया के निर्देशानुसार जिले में शराब माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मुले के निर्देशन और एसडीओपी कोलारस संजय मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी उपनिरीक्षक पुनीत बाजपेयी ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम सेसई तिराहा कट पर पुलिस टीम के साथ घेराबंदी की। कुछ ही देर में एक सफेद रंग की बिना नंबर स्विफ्ट डिजायर वहां पहुंची। पुलिस को सामने देखकर चालक वाहन छोड़कर खेतों की ओर भाग निकला। तलाशी के दौरान कार से 19 पेटी देशी प्लेन शराब और 3 पेटी अंग्रेजी बीयर बरामद हुई। शराब की कीमत 86,010 रुपये तथा कार की अनुमानित कीमत 3 लाख रुपये है। कुल 3,86,010 रुपये का मसरूका जब्त किया गया।

पुलिस ने अज्ञात तस्कर के विरुद्ध अपराध क्रमांक 245/26 के तहत आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि शराब की खेप कहां से लाई गई थी और किस तक पहुंचाई जानी थी। उक्त कार्रवाई में उपनिरीक्षक पुनीत बाजपेयी, सहायक उपनिरीक्षक गुनेश्वर पैंकरा, प्रधान आरक्षक नरेश यादव, प्रधान आरक्षक मदन मोहन, आरक्षक दीपक जाट और आरक्षक रामसिंह पटेलिया की सराहनीय भूमिका रही।

चंद्रभान पाल की अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, नम आंखों से दी विदाई

नवभारत न्यूज
शिवपुरी, 10 जुलाई। केरल के वायनाड में हुए भीषण भूस्खलन हादसे में जान गंवाने वाले शिवपुरी जिले के पिछोर अनुविभाग के ग्राम गणेशखेड़ा (खोड़) निवासी चंद्रभान पाल उम्र 37 वर्ष को शुक्रवार को उनके पैतृक गांव में हजारों लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। उनकी अंतिम यात्रा में उमड़े जनसैलाब ने गांव को शोक में डुबो दिया।

- केरल के वायनाड में हुए भीषण भूस्खलन हादसे में गई जान
- दिलीप विल्डकॉम कंपनी में कार्यरत थे चंद्रभान

जानकारी के अनुसार, चंद्रभान पाल वायनाड में दिलीप बिल्डकॉम कंपनी में पिछले एक वर्ष से ग्रेडर ऑपरेटर के रूप में कार्यरत थे। दो दिन पहले आए विनाशकारी भू-स्खलन की चपेट में आने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई।

हादसे के बाद उनका पार्थिव शरीर हवाई मार्ग से भोपाल लाया गया, जहां से उसे उनके गृहग्राम गणेशखेड़ा पहुंचाया गया। परिजनों की मौजूदगी में पूरे विधि-विधान से उनका अंतिम संस्कार किया गया। चंद्रभान अपने पीछे पत्नी, एक पुत्र और एक पुत्री को छोड़ गए हैं।

परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य के असमय निधन से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ग्रामीणों ने बताया कि चंद्रभान अपने मिलनसार और सरल स्वभाव के कारण पूरे क्षेत्र में बेहद लोकप्रिय थे। उनके निधन की खबर मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। अंतिम यात्रा में हजारों ग्रामीण, जनप्रतिनिधि, रिश्तेदार और परिचित शामिल हुए। उमड़ी भीड़ इस बात की गवाही दे रही थी कि चंद्रभान ने अपने व्यवहार और कर्मों से लोगों के दिलों में विशेष स्थान बनाया था। उनके निधन से पूरे क्षेत्र में गहरा शोक व्याप्त है।

तस्करी की फिराक में खड़ा आरोपी गिरफ्तार, 1 . 261 किलो गांजा जब्त

नवभारत न्यूज
शिवपुरी, 10 जुलाई। मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पोहरी पुलिस ने एक और प्रभावी कार्रवाई करते हुए अवैध गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1 किलो 261 ग्राम गांजा, जिसकी अनुमानित कीमत 22 हजार रुपये है, जब्त कर उसे न्यायालय में पेश किया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया के निर्देशन, अति. पुलिस अधीक्षक संजीव मुले एवं एसडीओपी पोहरी आनंद राय के मार्गदर्शन में की गई। थाना प्रभारी निरीक्षक रवि चौहान द्वारा सक्रिय किए गए मुखबिर तंत्र से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर सफलता हासिल की।

पुलिस को सूचना मिली थी कि रिछ्याई मोड़ स्थित बाच टॉवर के पास एक व्यक्ति लाल रंग के थैले में गांजा लेकर ग्राहकों को बेचने की फिराक में खड़ा है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी रवि चौहान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी। पुलिस को देखते ही संदिग्ध भागने लगा, लेकिन घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम चंदन पुत्र रामहेत मित्रा उम्र 34 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक-14, पोहरी बताया। उसके लाल रंग के थैले की तलाशी लेने पर गांजे जैसी गंध वाली हरे रंग की कलियां मिलीं। इलेक्ट्रॉनिक कांटे से तौल करने पर थैले सहित कुल वजन 1 किलो 261 ग्राम पाया गया।

पुलिस ने मादक पदार्थ जब्त कर आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। बाद में उसे न्यायालय में पेश किया गया। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक रवि चौहान, उप निरीक्षक वीरेन्द्र परिहार, आरक्षक मुनेश धाकड़, आरक्षक अरविंद कुशवाह, आरक्षक रामभरत मीणा, आरक्षक चन्द्रभान रावत एवं आरक्षक राजकुमार माहौर की सराहनीय भूमिका रही।

डीपी पर लाइट सुधारने गए व्यक्ति की करंट से मौत

गुना, 10 जुलाई। जिले के धरनावदा गांव में घर की बिजली को सुधारने के लिए डीपी के पास गए एक 40 वर्षीय व्यक्ति की करंट की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद से मृतक के परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों में बिजली कंपनी की लापरवाही को लेकर भारी आक्रोश देखा जा रहा है।

घटनाक्रम के मुताबिक धरनावदा निवासी 40 वर्षीय बृजमोहन अहिरवार पुत्र जगन्नाथ के घर की बिजली अचानक गुल हो गई थी। इसकी वजह से बृजमोहन स्वयं घर के नजदीक ही लगी डीपी पर लाइट जोड़ने और उसे देखने के लिए गए थे। प्रत्यक्षदर्शियों और परिजनों के मुताबिक, डीपी के सभी तार पूरी तरह से खुले हुए थे। यह दर्दनाक हादसा शुक्रवार रात करीब 8 बजे घटित हुआ। जैसे ही बृजमोहन खुले तारों वाली डीपी के संपर्क में आए, वे करंट की चपेट में आ गए। करंट इतना जोरदार था कि बृजमोहन की मौके पर ही तड़प-तड़प कर मौत हो गई। घटना की खबर फैलते ही पूरे गांव में मातम पसर गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए।

बताया जा रहा है कि महज दो दिन पहले भी इसी डीपी में तेज स्पार्किंग हुई थी और आग लग गई थी, जिसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों ने इसे दुरुस्त करने की जहमत नहीं उठाई।

वन विभाग की कार्रवाई में हाई-वोल्टेज ड्रामा

नवभारत न्यूज
शिवपुरी, 10 जुलाई। कोलारस थाना क्षेत्र के उकावल गांव में वन भूमि से अतिक्रमण हटाने पहुंची वन विभाग की टीम को उस समय कड़ा विरोध झेलना पड़ा, जब ट्रैक्टर जब्त करने की कार्रवाई के दौरान एक युवक बोलेरो वाहन के नीचे जाकर लेट गया। इस बीच मौके का फायदा उठाकर ट्रैक्टर चालक वाहन लेकर फरार हो गया।

वन विभाग को सूचना मिली थी कि वन भूमि पर अवैध जुताई की जा रही है। टीम ने मौके पर पहुंचकर ट्रैक्टर जब्त करने का प्रयास किया, लेकिन मुकेश आदिवासी नामक युवक बोलेरो के नीचे लेट गया और तब तक बाहर नहीं निकला, जब तक ट्रैक्टर सुरक्षित मौके से निकल नहीं गया। ट्रैक्टर फरार होने के बाद ही वह बाहर आया, जिससे वन विभाग की कार्रवाई अधूरी रह गई। बताया जा रहा है कि सनवारा बीट के उकावल क्षेत्र में करीब 100 बीघा वन भूमि पर 8 से 10 परिवारों का कब्जा है। विभाग ने इस भूमि को वृक्षारोपण के लिए चिन्हित किया है और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। घटना के बाद वन विभाग अब आगे की कानूनी कार्रवाई और अतिक्रमण हटाने की नई रणनीति तैयार कर रहा है।

आरोग्य भारती ने मेडिकल कॉलेज में मरीजों को बांटे फल-बिस्किट

शिवपुरी, 10 जुलाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मध्य भारत प्रांत के वरिष्ठ प्रचारक एवं आरोग्य भारती के प्रांत संगठन मंत्री मुकेश दीक्षित के जन्मदिवस को शिवपुरी जिला इकाई ने सेवा दिवस के रूप में मनाते हुए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों को फल एवं बिस्कुट वितरित किए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने वार्ड-वार्ड जाकर मरीजों का हालचाल जाना और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। यह सेवा अभियान आरोग्य भारती के विभाग समन्वयक आलोक एम. इंदौरिया एवं विभाग संयोजक राहुल गंगवाल के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया।

हत्या के प्रयास मामले में 5 हजार के इनामी को दबोचा

नवभारत न्यूज
शिवपुरी, 10 जुलाई। फरार आरोपियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत खोड़ चौकी पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे 5 हजार रुपये के इनामी आरोपी सोनू परिहार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे उप जेल पिछोर भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया के निर्देश पर जिलेभर में फरार आरोपियों और वारंटियों की धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मुले एवं एसडीओपी प्रशांत शर्मा के मार्गदर्शन में खोड़ चौकी पुलिस ने यह महत्वपूर्ण कार्रवाई की।

खोड़ चौकी प्रभारी कुसुम गोयल के अनुसार, 5 जून 2026 को फरियादी गोपाल कोली, निवासी ग्राम चंदावनी ने अपनी पुत्री के साथ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर थाना भौंती में अपराध क्रमांक 180/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। घटना के बाद से आरोपी सोनू परिहार पुत्र अजब सिंह परिहार उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम चंदावनी, चौकी खोड़ लगातार फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक द्वारा 5 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। लगातार तलाश के बाद खोड़ पुलिस ने सटीक सूचना और सक्रिय कार्रवाई के दम पर आरोपी को दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में उप जेल पिछोर भेज दिया गया। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक घनश्याम सिंह भदौरिया, उप निरीक्षक एवं चौकी प्रभारी खोड़ कुसुम गोयल, सहायक उप निरीक्षक मुनेन्द्र सिंह भदौरिया, प्रधान आरक्षक प्रदीप गुर्जर, प्रधान आरक्षक नरेश सरल, आरक्षक रवि शर्मा एवं आरक्षक बीरेन्द्र वाथम की उल्लेखनीय भूमिका रही।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

ई-नीलामी द्वारा वाहन नीलामी की सूचना

क्षेत्रीय तनावग्रस्त अस्ति वसूली शाखा (आर.ओ.एस. ए.आर.बी.) ग्वालियर, प्रथमतल, बीएसएनएल बिल्डिंग, सिटी सेंटर, ग्वालियर म.प्र. - 474011, मो. नं. 78801-53116, 89378-86644
E-mail: sarsag@bankofbaroda.co.in I Web : bankofbaroda.com

वाहनों के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रुप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित वाहन जो बैंक ऑफ बड़ौदा प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है जिसका कब्जा बैंक ऑफ बड़ौदा प्रतिभूत लेनदार के नीचे दी गई शाखा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है'' एवं '' दायित्व रहित के आधार पर'' के आधार पर निम्नलिखित वर्णित ऋणीयों से बैंक ऑफ बड़ौदा प्रतिभूति लेनदार की निम्न वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु ई-नीलामी द्वारा बेची जाएगी।

उधारकर्ता व जमानतदार का नाम	बकाया राशि	वाहन का विवरण/ रजिस्ट्रेशन नं.	आरक्षित मूल्य रु. ईएमडी 10% बिड वृद्धि राशि
ऋणी : श्री रविशंकर झा पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद झा पता : छोटा लुहारपुरा पुराना शिवपुरी ए.बी. रोड, शिवपुरी, जिला शिवपुरी-473551 पता : पुराना औद्योगिक क्षेत्र शिवपुरी ए.बी. रोड, शिवपुरी, जिला, शिवपुरी-473551	रु.25,50,856.63/- + ब्याज एवं शुल्क नीलामी दिनांक: 31-07-2026 समय: 2 PM TO 6 PM	Ashok Leyland LTD /1915/52 HE RN-RJ11GD0846	Rs. 22,53,000/- 2,25,300/- 5000/-
ऋणी : श्री रविशंकर झा पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद झा पता : छोटा लुहारपुरा पुराना शिवपुरी ए.बी. रोड, शिवपुरी, जिला शिवपुरी-473551 पता : पुराना औद्योगिक क्षेत्र शिवपुरी ए.बी. रोड, शिवपुरी, जिला, शिवपुरी-473551	रु.26,01,373.58/- + ब्याज एवं शुल्क नीलामी दिनांक: 31-07-2026 समय: 2 PM TO 6 PM	Ashok Leyland LTD /CA/1915/ 52 HE RN-RJ11GD0845	Rs. 22,53,000/- 2,25,300/- 5000/-
ऋणी : श्री शांति प्रकाश पुत्र श्री मातादीन गुर्जर पता : कांच मिल, बड़ा गेट, बिरला नगर, गिर्द, एमपी-474004 **जमानतदार : श्री उमेश चौहान पुत्र श्री ओमप्रकाश सिंह चौहान** पता : मकान नंबर 174, न्यू कॉलोनी नंबर 1, बिरलानगर, गिर्द, एम.पी.-474004	रु.30,31,485.00/- + ब्याज एवं शुल्क नीलामी दिनांक: 31-07-2026 समय: 2 PM TO 6 PM	Ashok Leyland LTD /GG3520/57 H CO RN-RJ11GC5758	Rs. 27,00,000/- 2,70,000/- 5000/-
ऋणी : श्री शुभम दुबे पुत्र श्री छविराम दुबे पता : सैनिक कॉलोनी, सिकंदर कंपू, गिर्द, ग्वालियर,(म.प्र.)-474001 **जमानतदार : श्री ग्याप्रसाद सिंह पुत्र श्री निरंजन सिंह** पता : रावत बनवारी, तहसील, चीनोर, जिला-ग्वालियर (म.प्र.)-475220	रु.38,48,221.00/- + ब्याज एवं शुल्क नीलामी दिनांक: 31-07-2026 समय: 2 PM TO 6 PM	Ashok Leyland LTD /NE55 N/39TT CC RN-RJ11GC5147	Rs. 13,25,000/- 1,32,500/- 5000/-
ऋणी : श्री उमेश चौहान पिता श्री ओम प्रकाश सिंह चौहान पता : एन.एच.एन-174, न्यू कॉलोनी बिड़ला नगर, ग्वालियर (म.प्र.)-474004	रु.31,65,738.00/- + ब्याज एवं शुल्क नीलामी दिनांक: 18-08-2026 समय: 2 PM TO 6 PM	Ashok Leyland LTD /GG3520/ 57 H CO RN-RJ11GC7144	Rs. 30,00,000/- 3,00,000/- 5000/-
ऋणी : श्री नीलकमल रावत पुत्र श्री हरगोविंद रावत पता : 25, आदर्श कॉलोनी, पिंटोपार्क, के.एन.गार्डन के पीछे गिर्द, ग्वालियर (म.प्र.)-474001 **जमानतदार : श्री भूरे सिंह पुत्र श्री बीरबल सिंह** पता : हरिहर नगर, सागरताल के पास गिर्द, ग्वालियर (म.प्र.)-474001	रु.35,20,833.00/- + ब्याज एवं शुल्क नीलामी दिनांक: 31-07-2026 समय: 2 PM TO 6 PM	Ashok Leyland LTD / 4220 BS6 / 2021 RN-RJ11GB8077	Rs. 19,00,000/- 1,90,000/- 5000/-

विस्तृत नियम एवं शर्तें हमारे सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाईट https://baanknet.com में उपलब्ध हैं।

स्थान: ग्वालियर | दिनांक: 10/07/2026 | प्राधिकृत अधिकारी बैंक ऑफ बड़ौदा